भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 739
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

पुराने मामलों का निपटान

739 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीस वर्षों से अधिक पुराने सभी समाधेय मामलों को वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली के माध्यम से निपटाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) न्यायालयों पर मुकदमों का भार कम करने और नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने का तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में एडीआर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए सक्षम विधिक ढांचा धारा 89, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदान किया गया है। धारा 89 लोक अदालत के माध्यम से निपटान सहित माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता और न्यायिक समझौते को मान्यता देती है । यह न्यायालय को इन तरीकों में से किसी एक द्वारा समझौते के लिए विवाद को निर्दिष्ट करने का उपबंध करती है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं।

इसके अलावा, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 6 न्यायालय को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है, यदि उचित समझा जाए, तो वैवाहिक अपराधों सहित शमनीय अपराधों से संबंधित कोई भी विवाद जो पक्षकारों के बीच शमनीय और लंबित हैं। तथापि, ऐसी मध्यकता के परिणाम पर न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार आगे विचार किया जाएगा। इसलिए, मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंध उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनानुसार शमनीय अपराधों के समझौते को समर्थ बनाते और मान्यता देते हैं।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा, जिनमें शमनीय मामले भी हैं, न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर निहित हैं। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है ।

तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से और कुशल निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

(ग) : न्यायालयों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार का निरंतर प्रयास रहा है । न्याय के तेजी से परिदान की दृष्टि से देश में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयास आरंभ किए गए हैं ।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को विकसित करके पहुंच बढ़ाने के घोषित उद्देश्यों के साथ की गई थी।

न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्याय परिदान में सहायता के लिए न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं । वर्ष 1993-94 में उक्त स्कीम के आरंभ के पश्चात् से, इस स्कीम के अधीन 10035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.11.2023 को 21,507 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.11.2023 को 18,882 हो गई है ।

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। ई-कोर्ट परियोजना के चरण-I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण उचित वैन कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की स्थापना और आभासी न्यायालयों आदि के साथ किया गया है। हाल ही में, 13.09.2023 को मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट के चरण-III को मंजूरी दी है । चरण-I और चरण-II के लाभ को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, ई-कोर्ट चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था करना है। यह सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉक चेन आदि को शामिल करने का आश्य रखता है।

सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भर रही है। 01.05.2014 से 08.12.2023 तक, 61 न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों में 965 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 695 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी बनाया गया । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर वर्तमान में 1114 हो गई है । समय के साथ, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है । जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25,423 हो गई है, जबकि संबंधित कार्यरत संख्या वर्ष 2014 में 15,115 से बढ़कर वर्ष 2023 में 19,518 हो गई है।

अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्ति सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह की समितियां जिला न्यायालयों में भी कार्यरत् हैं ।

सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, एचआईवी/एड्स आदि से जुड़े मामलों और संपत्ति से संबंधित मामले जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, से निपटने के लिए त्वरित न्यायालय स्थापित किए हैं । 31.10.2023 तक, 848 त्वरित न्यायालय कार्यरत् हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के

लिए देश भर में त्वरित विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की एक स्कीम भी आरंभ की गई है । 31.10.2023 तक, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 412 विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित कुल 758 एफटीएससी कार्यरत हैं।

इसके अलावा, न्यायालयों के लंबित रहने और बंद होने को कम करने के लिए, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है।

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। 30 नवंबर, 2023 तक टेली लॉ और टेली लॉ मोबाइल ऐप के तत्वावधान में 2.5 लाख सीएससी के माध्यम से 60,23,222 मामलों के लिए विधिक सलाह समर्थ की गई थी।

(घ) : माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को हल करने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। एडीआर तंत्र के उपयोग से भी न्यायपालिका पर बोझ कम होने की आशा है और इस प्रकार देश के नागरिकों को समय पर न्याय परिदान में समर्थ बनाता है ।

इस संबंध में वर्षों से सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं; घरेलू माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी मध्यस्थ पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने और उससे जुड़े विषयों के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का अधिनियमन। माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में माध्यस्थम को सक्षम करने के लिए, माध्यस्थम् विधि में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन माध्यस्थम् कार्यवाही के समय पर समापन को सुनिश्चित करने, मध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और मध्यस्थ पंचाटों के प्रवर्तन के लिए एक प्रतिमान बदलाव का आरंभ करने में समर्थ हैं।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 में शीघ्र, त्वरित और समयबद्ध माध्यस्थम् कार्यवाहियों, मध्यस्थों की तटस्थता और लागत प्रभावी वितरण तंत्र का उपबंध किया गया है। इसके पश्चात् माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 का मुख्य उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना और देश में तदर्थ माध्यस्थम् के हिस्से को कम करना था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34 को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने का उपबंध है, जहां अंतर्निहित माध्यस्थम् करार, संविदा या माध्यस्थम् पंचाट बनाना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को पूर्व-संस्थागत मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद किसी भी तत्काल अंतरिम अनुतोष पर विचार नहीं करता है, पक्षकारों को न्यायालय पहुंचने से पहले पीआईएमएस के बाध्यकारी उपचार का प्रयोग करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करना है ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना और निगमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। । केंद्र, स्थापित किए जाने के समय से ही, आवश्यक अवसंरचना और

वृत्तिक प्रबंधन से सुसज्जित है, जो अपने तत्वावधान में माध्यस्थम् के संचालन के लिए गुणवत्तापूर्ण विधिक और प्रशासनिक विशेषज्ञता और प्रतिष्ठित मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने की प्रस्थापना करता है। केंद्र माध्यस्थम् कार्यवाही के सुचारू संचालन में, अपेक्षित प्रशासनिक समर्थन सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक दोनों विवादों के लिए लागत प्रभावी रीति में अपनी प्रसुविधाओं पर विश्व स्तरीय माध्यस्थम् संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा।

मध्यकता अधिनियम, 2023, विवादित पक्षकारों द्वारा अपनाए जाने वाले मध्यकता के लिए विधायी ढांचा निर्धारित करता है, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता जहां भारत में एक मजबूत और प्रभावकारी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है। मध्यकता विधि मध्यकता को व्यापक मान्यता प्रदान करने और न्यायालय से बाहर, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति के विकास को समर्थ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी मध्यक्षेप साबित होगा।

लोक अदालतें आम लोगों के लिए उपलब्ध एक व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में सामने आई हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां विधिक न्यायालय में या पूर्व-मुकदमेबाजी के चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा / समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है। लोक अदालत कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

****